(134)

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–25 /2025

जीसीएमएस नं. 2025/145

दायर दिनांक:– 05.08.2025

निर्णय दिनांक:–05.08.2025

एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर में स्थित व कार्यरत है ।

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री लक्ष्मण लाल अहारी पुत्र श्री शंकर लाल अहारी निवासी–ग्राम पारडा इटिवार, तहसील–आसपुर
2. श्रीमति सांजना देवी पत्नि श्री लक्ष्मण लाल अहारी, निवासी–ग्राम पारडा इटिवार, तहसील–आसपुर
3. श्री प्रकाश चंद्र मीणा पुत्र श्री शंकरलाल मीणा निवासी–ग्राम पारडा इटिवार तहसील आसपुर
4. श्री दीपक नाई पुत्र श्री नारायण नाई , निवासी–ग्राम पारडा इटिवार, तहसील–आसपुर
5. श्री लक्ष्मण नाथ जोगी पुत्र श्री ओकार निवासी–ग्राम पारडा इटिवार, तहसील–आसपुर

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

–:: आदेश ::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर ने अप्रार्थी/ऋणीगण को दिनांक 08.11.2023 को राशि 7,00000/अक्षरे रूपये सात लाख मात्र ऋण सुविधा नगद उधार ऋण के रूप में दी थी। जिसके पुर्नभुगतान हेतु प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ने अप्रार्थी की सम्पति रहन रखी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :– श्री लक्षमण लाल अहारी पुत्र श्री शंकरलाल अहारी मीणा की संपति पट्टा सं. 156, वुक सं. 2 खसरा सं. 1129, ग्राम व पंचायत पारडा इटिवार, पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर स्थित है। जिसके पूर्व में श्री अरजी/नगजी का मकान, पश्चिम में आम रोड, उत्तर में श्री प्रकाश चंद्र/श्री शंकर लाल मीणा का मकान, दक्षिण में स्वयं की खाली जगीन व रास्ता स्थित है। अप्राथी/ऋणीगण द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया, जिसकी वजंह सें उक्त खाता दिनांक 05.12.2024 को डिफाल्टर (एन.पी.ए) घोषित किया गया। कुल बकाया ऋण राशि 7,54,480/–दिनांक 07.12.2024 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त शामिल करते हुए बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को दिनांक 18.12.2024 को नोटिस जारी करने के पश्चात् भी अप्रार्थी/ऋणीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बन्धकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी को दिया गया। प्रार्थी, अप्रार्थी से जब तक सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नही हो जाता तब तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे राहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी नें उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, को सभंलवाने के लिये प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थी ने उसके खाते में देय राशि मय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस के बावजूद भी प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, को जमा नही कराया कराने से उक्त अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, के पक्ष में उक्त रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा प्रार्थी को या

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

नही है और उन्हें नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नही है, क्योंकी यहा से कोई न्यायिक निर्णय नही किया जाना हैं।

हमने वकील प्रार्थी के बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की सम्पति को एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास रहन रखकर ऋण स्वीक्रत दिनांक 08.11.2023 को राशि 7,00000/अक्षरे रूपये सात लाख ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नही चुकाया जिस वजह से दिनांक 05.12.2024 को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते में कुल बकाया ऋण राशि 7,54,480/–दिनांक 07.12.2024 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त शामिल करते हुए बकाया निकलते है। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ने ऋणी (अप्रार्थी) को दिनांक 18.12.2024 को नोटिस जारी करने के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, को दिया गया। अप्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज में बधंक के रूप में रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, को दिलवाया जाना आवश्यक हैं। अतः एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, द्वारा अप्रार्थी ऋणी से नियमित रूप से राशि जमा करवाने हेतु प्रयास किये गये तथा डिफाल्टर घोषित कर ऋणी को नोटिस जारी किया गया, किन्तु ऋणी द्वारा बावजूद नोटिस के अपेक्षित राशि जमा नही कराई गई। दी सिक्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकंन्शट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की प्रदत्त शक्तियों के तहत एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड , के पास बन्धक रखी सम्पति– श्री लक्षमण लाल अहारी पुत्र श्री शंकरलाल अहारी मीणा की संपति जो पट्टा सं. 156, बुक सं. 2 खसरा सं. 1129, ग्राम व पंचायत पारडा इटिवार, पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर स्थित है। जिसके पूर्व में श्री अरजी/नगजी का मकान, पश्चिम में आम रोड, उत्तर में री प्रकाश चंद्र/श्री शंकर लाल मीणा का मकान, दक्षिण में स्वयं की खाली जमीन व रास्ता स्थित है। उक्त सम्पति को अप्रार्थी सें प्राप्त करने जरिये पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर को सभ्भलायें जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड , को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की प्रति अप्रार्थी ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिवस की अवधि तक अपेक्षित राशि जमा कराने का अवसर दिया जावे। अप्रार्थी/ऋणीगण द्वारा यदि 30 दिवस में भी अपेक्षित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की कियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, डुंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक 05/08/25 को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर